

## असाध्य रोग के संदर्भ में यूके का अससिटेड डाइंग बलि

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में बरटिन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रमनिली इल एडलट (एंड ऑफ लाइफ) बलि के पक्ष में मतदान किया गया, जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में सहायता देने पर केंद्रित है।

- यह ऐतिहासिक निरिण्य जीवन के अंतमि चरण से संबंधित अधिकारों के संदर्भ में चल रही बहस को प्रताविविति करता है तथा इससे नैतिक विचारों एवं विधिक ढाँचे के बारे में विमर्श को बढ़ावा मिला है।

सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) का आशय स्वैच्छिक सक्रिय इच्छामृत्यु एवं चकितिसक की सहायता से मृत्यु से है।

इच्छामृत्यु (Euthanasia) के तहत डॉक्टर द्वारा असाध्य रोगी का जीवन समाप्त करना शामिल है।

### यूके के अससिटेड डाइंग बलि की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

सहायता प्राप्त मृत्यु पर बरटिन की वर्तमान स्थिति:

- सुसाइड एक्ट, 1961 के तहत इंग्लैण्ड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड में आत्महत्या को प्रोत्साहित करना या इसमें सहायता करना गैर-कानूनी है।
  - इसके तहत सहायता प्राप्त आत्महत्या को अपराध माना गया है और इसके लिये 14 वर्ष का कारावास हो सकता है।
- वर्ष 2013 से अब तक बरटिन में अससिटेड मृत्यु की अनुमति देने हेतु कम से कम तीन विधियक प्रस्तुत किया जा चुके हैं।

ट्रमनिली इल एडलट (एंड ऑफ लाइफ) बलि:

- असाध्य रोग की परभिषा: इसका आशय ऐसे रोग से है जिसे उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता हो और इसमें 6 महीने के अंदर व्यक्ति के मरने की संभावना हो।
- इस विधियक के तहत दवियांग या मानसिक विकार वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है।
- पात्रता मानदंड: केवल मानसिक रूप से सक्षम तथा कम-से-कम 18 वर्ष की आयु वाले गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति ही सहायता प्राप्त मृत्यु का अनुरोध कर सकते हैं।
  - यूनाइटेड किंगडम में, प्रत्येक राष्ट्र और कराउन निरिभरता अपनी स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल के लिये ज़मिमेदार है, इसलिये स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को अपने स्वयं के सहायता-मृत्यु नियम पारति करने होंगे।
  - आवेदन करने से कम-से-कम 12 महीने पहले मरीज को इंग्लैण्ड या वेल्स में पंजीकृत होना चाहिये तथा वहाँ रहना चाहिये।
- अनुरोध प्रक्रिया:
  - मरीजों को समन्वयकारी डॉक्टर और एक गवाह की उपस्थिति में "प्रथम घोषणा" पर हस्ताक्षर करना होगा।
  - प्रथम घोषणा: जो व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसार अपना जीवन समाप्त करने के लिये सहायता प्राप्ति संबंधित आशय की घोषणा करनी होगी।
  - समन्वयक चकितिसक पात्रता और स्वैच्छिक सहमति की पुष्टि के लिये प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है।
  - यदि यह स्वीकृत हो जाता है, तो अनुरोध को न्यूनतम सात दिनों की विचार-विमर्श अवधि के बाद एक स्वतंत्र चकितिसक के पास भेजा जाता है।
- न्यायिक निरिण्य:
  - यदि दोनों डॉक्टर (समन्वयकारी और स्वतंत्र) सहमत होते हैं, तो अनुरोध उच्च न्यायालय को भेजा जाता है, जो कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करता है।
  - न्यायालय मरीज और संबंधित डॉक्टर दोनों से पूछताछ कर सकता है।

- अंतमि पुष्टि:
  - न्यायिक मंजूरी के बाद, मरीज को दूसरे घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले 14 दिनों का दूसरा चतिन काल मिलता है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर और अन्य व्यक्तिद्वारा की जाती है।
- स्वयं से दवाओं का उपभोग:
  - समन्वय करने वाला डॉक्टर रोगी को स्वयं उपभोग हेतु एक "अनुमोदित दवा" प्रदान करता है, डॉक्टरों को इसे स्वयं देने का अधिकार नहीं है।

**इच्छामृत्यु (Euthanasia)**

**के बारे में**

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबुझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा; एक लाइलाज स्थिति/असहनीय दर्द से राहत पाने के लिये

**सक्रिय इच्छामृत्यु ( Active Euthanasia )**

- किसी पदार्थ अथवा या बाहु बल की सहायता से एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, ( जैसे - किसी धातक इंजेशन द्वारा )

**निष्क्रिय इच्छामृत्यु ( Passive Euthanasia )**

- मरणासन रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाले आवश्यक जीवन समर्थ/उपचार को हटा देना

**पक्ष में तर्क**

- रोगी की पसंद की स्वतंत्रता
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार
- पीड़ा को समाप्त करने की वृद्धि से अधिक मानवीय
- रोगी के प्रियजनों के दुःख को कम करता है

**विरुद्ध तर्क**

- नैतिक, धार्मिक वृद्धिकोण से अस्वीकार्य
- इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया को उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है
- अपराधबोध से ग्रस्त रोगी सहमति देने के लिये स्वयं को बाध्य महसूस कर सकते हैं

**इच्छामृत्यु - भारत में वैधता**

**पी. रथिनम बनाम भारत संघ ( 1994 )**

- सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 309 ( आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

**श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य ( 1996 )**

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि जीवन के अधिकार ( अनुच्छेद 21 ) में मरने का अधिकार शामिल नहीं है ( जिसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये )

**अरुणा रामचंद्र शानदार बनाम भारत संघ ( 2011 )**

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानदार के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' के बीच अंतर स्थापित किया और "कुछ स्थितियों" में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

**कॉम्पन कॉर्ज बनाम भारत संघ व अन्य ( 2018 )**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु/पैसिव यूथेनेशिया को वह दावा करते हुए वैध कर दिया कि यह 'लिविंग विल' ( एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है ) रखने वाले व्यक्ति पर निभर है
- यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है, तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये अनुमति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' ( 2018 के मामले में निर्धारित ) के लिये मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

## विभिन्न देशों में इच्छामृत्यु नीतियाँ

- नीदरलैंड, लक्झमबरग, बेल्जियम: उन लोगों के लिये इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमतिदी जाए जो "असहनीय पीड़िति" हैं और जनिम सुधार की कोई संभावना नहीं है।
- स्विटज़रलैंड: यहाँ इच्छामृत्यु पर प्रतिविधि है, लेकिन डॉक्टर की उपस्थितिमें सहायतापूरक मृत्यु की अनुमति है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: इच्छामृत्यु कानून राज्य के अनुसार अलग-अलग हैं, वाशिंगटन, ओरेगन और मॉटाना जैसे राज्यों में छूट दी गई है।
- फ्रांस: फ्रांसीसी नागरिकता या नविस वाले वयस्क, जो गंभीर बीमारी और असहनीय दर्द से पीड़िति हैं, अगर वे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं तो

वे घातक दवा का अनुरोध कर सकते हैं। यदि वे स्वयं दवा नहीं ले सकते हैं तो सहायता की अनुमति है।

## भारत में लविगि बलि और नषिक्रयि इच्छामृत्यु के प्रावधान क्या हैं?

- नषिक्रयि इच्छामृत्यु: **नषिक्रयि इच्छामृत्यु** में कसी व्यक्ति को मरने देने के लिये चकितिसा उपचार रोक दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है।
  - इसके विपरीत सक्रयि इच्छामृत्यु में कसी व्यक्ति को जीवन को कसी पदारथ या बाह्य बल, जैसे घातक इंजेक्शन, के माध्यम से सक्रयि रूप से समाप्त कर दिया जाता है।
- कॉमन कॉर्ज बनाम भारत संघ (2018):
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस ऐतिहासिक फैसले में कसी व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा गया कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति नषिक्रयि इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है एवं चकितिसा उपचार से मना कर सकता है।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

#### प्रश्नः

Q. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थात् होता है?

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के नियमक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रता एवं
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तरः (c)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uk-s-assisted-dying-bill-on-terminally-ill-adults>